न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :—884 / 2023—24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

मटकू मुण्डा.............................आवेदक / विक्रेता } प्रथम पक्ष

रामु बखला...क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार..द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02.04.2024	**आदेश**	

आवेदक मटकू मुण्डा पिता स्व0 बीरसिंह मुण्डा ग्राम—मसमानो, थाना—कर्रा, जिला—खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:—

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
मसमानो	97	86	885	0.04
			892	0.23
			886	0.09
				0.36

आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक मटकू मुण्डा पिता स्व0 बीरसिंह मुण्डा ग्राम—मसमानो, थाना—कर्रा, जिला—खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता रामु बखला पिता चमरा बखला ग्राम—हाकागांज, थाना—कर्रा, जिला—खूँटी को बिक्री करना चाहते हैं।

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण हेतु बिक्री करना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद 1492003843 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त अनुमति वाद के आलोक में आम नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 274 दिनांक 27.03.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त

हुआ है। अंचल अधिकारी, कर्रा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम तोम्बा मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के परपोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 15 पर जमाबंदी दर्ज है।

अंचल अधिकारी, कर्रा के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक जिला के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 1333 दिनांक 28.02.2024 के साथ अंचल अधिकारी, कर्रा के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2023/405391 दिनांक 27.12.2023 वो आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2023/810972 दिनांक 27.12.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 274 दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक मटकू मुण्डा पिता स्व0 बीरसिंह मुण्डा ग्राम–मसमानो, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी को क्रेता रामु बखला पिता चमरा बखला ग्राम–हाकागांज, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी के साथ ग्राम मसमानो के खाता सं0 86 खेसरा संख्या क्रमशः 885, 892 एवं 886 रकबा क्रमशः 0. 04, 0.23 एवं 0.09 कुल रकबा 0.36 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

02/04/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.20 16:10:17 +05:30
Location: 192.168.1.104